क्रम-संख्या– 39

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 मार्च, 2025

फाल्गुन 20, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

संख्या 1213/77–4–25–31गीडा/20

लखनऊ, 11 मार्च, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–21

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 6 के साथ पठित धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना की तैयारी और अन्तिम रूप देना) विनियमावली, 2025

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना की तैयारी और अन्तिम रूप देना) विनियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह अधिनियम की धारा 2 (घ) के अधीन यथा परिभाषित औद्योगिक विकास क्षेत्र पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) से है;

(ख) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से है;

(ग) ''कृषि उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(घ) ''वाणिज्यिक उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(ङ) ''औद्योगिक उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(च) ''संस्थागत उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(छ) ''भू उपयोग'' का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा अवधारित योजना में औद्योगिक, आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, जल निकाय, मनोरंजन के आयोजन के लिए खुले स्थानों, सड़कों, परिवहन, सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं, कृषि और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी भूमि और भवन या उसके भाग के उपयोग से है;

(ज) ''अभिन्यास योजना'' का तात्पर्य सम्पूर्ण स्थल की ऐसी योजना से है, जिसमें भू–भागों के उपयोग/गतिविधियों को उपदर्शित करते हुए भूखण्डों/भवन समूह, सड़कों, खुले क्षेत्र, पार्किंग, भू–दृश्य आदि अवस्थानों को दर्शाया गया हो;

(झ) ''आमोद–प्रमोद उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(ञ) ''योजना'' का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अधिनियम के अर्थान्तर्गत औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गयी महायोजना से है;

(ट) ''सार्वजनिक अथवा अर्द्धसार्वजनिक उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(ठ) ''आवासीय उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(ड) ''सेक्टर'' का तात्पर्य ऐसे डिवीजन में से किसी एक डिवीजन से है, जिसमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके आंशिक भाग को अधिनियम के अधीन योजना और विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है;

(ढ) ''यातायात और परिवहन उपयोग'' का तात्पर्य अधिनियम और इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है;

(ण) ''जल निकाय'' का तात्पर्य भूतल पर जल के संवहन और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी भूमि से है।

अध्याय–दो

नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण प्रपत्र और योजना की विषयवस्तु

3–(1) प्राधिकरण यथासम्भव शीघ्र नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण करेगा और औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) योजना के प्रारूप में,–

(क) विद्यमान विभिन्न सेक्टर्स, जिनमें विकास क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को विकास के उद्देश्य से विभाजित किया जाना हो, को उपदर्शित तथा वर्णित किया जायेगा और प्रत्येक सेक्टर में भूमि का उपयोग किये जाने की रीति को उपदर्शित किया जायेगा;

(ख) विभिन्न भू–उपयोग के अधीन भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख किया जायेगा;

(ग) निम्नलिखित को उपदर्शित तथा वर्णित किया जायेगा,–

(एक) विद्यमान सड़कें;

(दो) परिवहन और संचार, जिसमें रेल और हवाई–अड्डा भी सम्मिलित है, की विद्यमान और प्रस्तावित अन्य रूप–रेखायें।

(3) योजना के प्रारूप में निम्नलिखित को उपदर्शित किया जा सकता है,–

(क) विद्यमान सार्वजनिक सुविधाएं और नदियों, जल निकायों आदि भौतिक संरचनायें;

(ख) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट समस्त मामलें या उनमें से कोई मामला।

(4) योजना के प्रारूप में ऐसे मानचित्र, डायग्राम चार्ट, रिपोर्ट और किसी व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति के ऐसे अन्य लिखित मामले होगें जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग के विकास से संबंधित हों।

(5) योजना के प्रारूप के लिखित मामले में मुख्य विकास विशेषताओं का ऐसा सारांश और ऐसा वर्णनात्मक मामला भी सम्मिलित होगा, जिसे प्राधिकरण मानचित्रों चार्टो, डायग्रामों और अन्य दस्तावेजों द्वारा उपदर्शित प्रस्तावों को दृष्टांत द्वारा समझाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझें।

(6) विद्यमान भू–उपयोग की कोई योजना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि के वांछित उपयोग का प्रस्ताव करने वाली योजना प्रारूप का भाग बनेगी।

(7) योजना में,–

(क) विभिन्न सेक्टरों, जिनमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके आंशिक भाग को विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है, सम्मिलित हो सकते है;

(ख) निम्नलिखित के लिए भूमि का वांछित उपयोग उपदर्शित करते हुए विभिन्न विद्यमान और प्रस्तावित भू–उपयोग प्रदर्शित किये जा सकते है,–

(एक) औद्योगिक उपयोग;

(दो) आवासीय उपयोग;

(तीन) वाणिज्यिक उपयोग;

(चार) सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक उपयोग;

(पांच) आमोद–प्रमोद उपयोग;

(छह) कृषि उपयोग;

(सात) ऐसे अन्य उपयोग के लिए जैसा प्राधिकरण औद्योगिक विकास क्षेत्र के उचित विकास के दौरान उपयुक्त समझे।

(ग) यातायात और परिवहन योजना, जिसमें सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रणाली के लिए प्रस्ताव समाविष्ट होंगें;

(घ) अवसंरचनात्मक योजना, जिसमें जल, विद्युत, जल निकास तथा मल और कूडा–करकट के निस्तारण की व्यवस्था के लिए भूमि/भवन के उपबंध के लिए प्रस्ताव होगें और आमोद–प्रमोद के लिए खुले स्थान, नागरिक और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के प्रस्ताव भी उपदर्शित होंगे;

(ड) आवास से संबंधित प्रस्ताव;

(च) विभिन्न भू–उपयोग में अनुज्ञात की जाने वाली विभिन्न क्रिया–कलापों के संबंध में परिक्षेत्र संबंधित विनियमनों को प्रस्तावित करने वाली योजना;

(छ) संपूर्ण नगर क्षेत्र, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, पार्को, खुले स्थानों के प्रबन्ध और सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन के क्षेत्र के लिए संकल्पनात्मक भू–दृश्य प्रदान करने वाली योजना;

(ज) ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति का लिखित मामला जो सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र या उसके किसी आंशिक भाग के विकास से संबंधित हो;

(झ) लिखित मामला, जिसमें मुख्य प्रस्तावों का सार और ऐसा वर्णनात्मक मामला होगा, जैसा कि प्राधिकरण दृष्टांत के साथ समझाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझे।

(8) योजना में किसी अन्य मामले की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसे औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक समझा जाये।

(9) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिससे योजना संबंधित हो, किसी एक मानचित्र पर दर्शाये गये प्रस्तावों की संख्या और किसी अन्य मानचित्र पर दर्शाये प्रस्तावों की संख्या के बीच कोई विवाद या असंगति होने की स्थिति में वृहत्तर पैमाने वाला मानचित्र प्रचलित होगा और किसी मानचित्र और लिखित मामले के बीच किसी ऐसे विवाद या असंगति की स्थिति में लिखित मामला प्रचलित होगा।

अध्याय–तीन

योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

योजना तैयार करने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस

4–(1) प्राधिकरण यथासम्भव शीघ्र योजना का प्रारूप तैयार हो जाने पर, सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि,–

(क) योजना का प्रारूप तैयार हो गया है और उसका निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय और स्थान पर किया जा सकता है, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ख) योजना के प्रारूप के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसे दिनांक से पहले, जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन पूर्व का न हो और ऐसी रीति से जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रेषित की जायेगी।

(2) यह नोटिस इस विनियमावली से संलग्न प्ररूप–''क'' में जारी की जा सकती है।

सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति

5–विनियम 4 में उल्लिखित प्रत्येक सार्वजनिक नोटिस मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी और उसका प्रकाशन ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका उस नगर क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। यह प्रकाशन दो या उससे अधिक समाचार-पत्रों में जिन्हें प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जायेगा।

जाँच और सुनवाई

6–(1) आपत्तियां और सुझाव देने के लिए नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के बीत जाने पर उन, आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए उन्हें एक समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति का गठन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इसमें तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक नगर नियोजक होगा। समिति प्राप्त आपत्ति (आपत्तियों) के निस्तारण के लिए दिनांक नियत करेगी और ऐसे प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों)/निकाय पर जिन्होंने आपत्ति (आपत्तियाँ) प्रस्तुत की हैं, नोटिस तामील करेगी और सुनवाई के दिनांक और स्थान की सूचना देने के पश्चात् प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों)/निकाय को उसको/उनकी आपत्ति (आपत्तियों) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण–प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों)/निकाय की पहचान समिति द्वारा की जायेगी और इस संबंध में इसका विनिश्चय अन्तिम और निर्णायक होगा।

(2) समिति सुनवाई के समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट/संस्तुतियॉ प्रस्तुत करेगी।

समिति की संस्तुतियों पर विचार

7–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को समिति की संस्तुतियाँ उन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(2) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की यह राय हो कि किसी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा संस्तुति को समिति को उस पर विचार करने के लिए वापस संदर्भित की जा सकती है।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति की संस्तुतियों के साथ अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देना/अनुमोदन करना

8–(1) प्राधिकरण, समय-समय पर समिति की संस्तुति और किसी अन्य विषय पर विचार करने के पश्चात् योजना के प्रारूप में परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

(2) प्राधिकरण, ऐसे परिवर्तनों, उपान्तरों या संशोधनों के साथ, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाये, योजना को अनुमोदित करेगाः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण को योजना अन्तिम रूप से प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(3) अनुमोदित योजना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नयी/पुनरीक्षित योजना के अनुमोदित तथा प्रारम्भ होने तक प्रभावी होगी।

योजना का दिनांक और प्रारम्भ

9–राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से विनियम 5 में उपबन्धित रीति से एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित की जायेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि योजना अनुमोदित हो गयी है, और उस स्थान का नाम भी होगा, जहाँ पर योजना की प्रति का सभी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से योजना प्रभावी हो जायेगी।

योजना का संशोधन

10–(1) प्राधिकरण अनुमोदित योजना में ऐसा संशोधन कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे, सिवाय इसके कि जब यह भूमि उपयोग तथा इसकी सीमा से संबंधित हो, परन्तु यह कि अनुमोदित योजना में ऐसा संशोधन, जो कि प्राधिकरण की राय में भूमि के उपयोग तथा इसकी सीमा से संबंधित हो, प्राधिकरण द्वारा केवल राज्य सरकार की अनापत्ति से की जा सकती है।

(2) योजना में कोई संशोधन करने से पूर्व, प्राधिकरण कम से कम दो समाचार-पत्रों में जिसका विकास क्षेत्र में प्रसार हो एक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी प्रभावित व्यक्ति से ऐसे दिनांक के पूर्व जो नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन पूर्व का न हो, आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित किया जायेगा और वह उन सभी आपत्तियों पर विचार करेगा जो प्राप्त हो।

(3) इस विनियम के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन विनियम 5 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन के दिनांक को या ऐसे अन्य दिनांक को जिसे प्राधिकरण नियत करे, प्रभावी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी संशोधन की एक प्रति राज्य सरकार को सूचना हेतु प्रेषित करेगा।

सेक्टर अभिन्यास योजना

11–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेक्टर या सेक्टर के किसी आंशिक भाग या स्कीम के लिए तैयार की गयी अभिन्यास योजना को अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगा। सेक्टर या सेक्टर के किसी आशिंक भाग या स्कीम की अभिन्यास योजना में किसी संशोधन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जायेगा। यदि ऐसे संशोधन में किसी सेक्टर के क्षेत्रफल और/अथवा सार्वजनिक पार्क और/अथवा हरित पट्टी की अवस्थिति में अन्तः सेक्टर परिवर्तन सम्मिलित है तो इसे विनियम 10 के उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

प्ररूप–'क'

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि–

1–(अ) गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र परिक्षेत्र..... तहसील.....जिला..... के योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(ब) निरीक्षण के लिए उसकी एक प्रति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय में ..... से .....तक के बीच सभी कार्य दिवसों में आगे पैरा–3 उल्लिखित दिनांक तक उपलब्ध रहेगा।

2–इस योजना के प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं।

3–आपत्तियाँ और सुझाव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लिखित रूप में दिनांक..... के पूर्व .....भेजे जा सकते हैं। आपत्तियाँ और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी उल्लिखित करना चाहिए।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1213/LXXVII-4-25, dated March 11, 2025 :

No. 1213/LXXVII-4-25
Dated Lucknow, March 11, 2025

IN exercise of the powers under section 19 *read* with section 6 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) the Gorakhpur Industrial Development Authority hereby makes with the previous approval of the State Government following regulations for the purposes of proper planning and development of the Gorakhpur Industrial Development Area.

THE GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA (PREPARATION AND FINALIZATION OF PLAN) REGULATIONS, 2025

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, application and commencement

1. (1) These regulations may be called the Gorakhpur Industrial Development Area (Preparation and Finalization of Plan) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

(3) They shall apply to the Industrial Development Area as defined under section 2(d) of the Act.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Uttar Pardesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976);

(b) "**Authority"** means the Gorakhpur Industrial Development Authority constituted under Section 3 of the Uttar Pardesh Industrial Area Development Act, 1976;

(c) "**Agricultural Use"** means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(d) **"Commercial Use"** means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(e) "**Industrial Use**" means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(f) "**Institutional Use"** means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(g) "**Land Use**" means the use of any land or building or part thereof in the industrial development area or industrial, residential, Institutional, commercial water bodies, recreational organized recreational open spaces, roads, transportation, public and semi-public facilities, agriculture and other such purposes like land and building or part there of as may be determined by the authority in the Plan;

(h) "**Layout plan**" means a plan of the entire site showing location of plots/building blocks, roads, open spaces, parking, landscaping *etc*. indicating the use/ activity for land parcels;

(i) "**Recreational use**" means the use as defined in the plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulation;

(j) "**Plan**" means the Master plan prepared by the authority for the development of industrial development area under sub-section (2) of section 6 of the Act within the meaning of the Act;

(k) "**Public or Semi Public Use**" means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(l) "**Residential Use**" means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(m) "**Sector**" means anyone of the divisons in which the industrial development area or part thereof may be divided for the purpose of planning and development under the Act;

(n) "**Traffic and Transportation Use**" means use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and as per these regulations;

(o) "**Water Bodies**" means any land for the carriage and storage of water on ground level.

CHAPTER-II

Town Planning and Civic Survey form and contents of Plan

3. (1) The Authority shall, as soon as possible, carry out town planning and civic survey and prepare Draft Plan for the industrial development area.

(2) The Draft Plan shall,-

(a) indicate and describe the existing various sectors into which the development area or part thereof is divided for the purpose of development and indicating the manner in which the land in each sector is being used;

(b) indicate the area of land under different land use;

(c) indicate and describe,-

(i) the existing roads;

(ii) the existing lines of transportations and communication including railways and airport.

(3) The Draft plan may indicate,-

(a) the existing public facilities and physical features such as rivers, water bodies *etc*;

(b) all or any of the matters specified in regulation 3.

(4) The Draft Plan shall consist of such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of Industrial Development Area.

(5) Written matter forming part of Draft Plan shall include such summary of the main development features and such descripitive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain the proposals indicated by maps, charts, diagrams and other documents.

(6) A plan of existing land use shall also form a part of the Draft Plan for proposing the desirable utilization of land for different purposes.

(7) The Plan may,-

(a) include various sectors into which the industrial development area or part thereof may be divided for the purpose of development;

(b) show the various existing and proposed land uses indicating the most desirable utilization of land for,-

(i) industrial use;

(ii) residential use;

(iii) commercial use;

(iv) public and semi public use;

(v) recreational use;

(vi) agriculture use;

(vii) such other use as the Authority may deem fit in the course of proper development of the industrial development area.

(c) traffic and transportation plan consisting of proposals for road, railway and air transportation system;

(d) infrastructural plan showing proposal for land/building for provision of water, electricity, drainage and disposal of sewage and refuse and also indicating proposals for recreational open space, civic and other infrastructural facility;

(e) proposals regarding housing;

(f) plan proposing zoning regulations regarding the various activities to be permitted in different land use;

(g) plan giving the conceptual landscape for entire township, road side plantation, treatment of parks, open spaces and area of active and passive recreation;

(h) such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of the Industrial Area;

(i) written matter consisting of summary of main proposals and such descriptive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain; the proposals indicated by the maps, charts, diagrams and other documents.

(8) The Plan may also provide for any other matter which is deemed necessary for the proper development of the Industrial Development Area.

(9) In case of any conflict or inconsistency between the number of proposals shown on one map and those shown on any other map in respect of any land to which the plan relates, the map which is of a larger scale shall prevail and in case of any such conflict or inconsistency between any maps and written matter the latter shall prevail.

CHAPTER-III

Procedure for finalization of plan

Public notice regarding preparation of Plan

4. (1) Authority shall, as soon as may be after the draft plan has been prepared, publish a public notice stating that,-

(a) the draft plan has been prepared and may be inspected by any person at such time and place as may be specified in the notice;

(b) objections and suggestions,if any, in respect of the draft plan shall be sent in writing by any person to the Chief Executive Officer or any other officer authorized by the Chief Executive Officer of the Authority before such date not being earlier than 15 days from the date of publication of the notice and in such manner as may be specified in the notice.

(2) This notice may be issued in Form 'A' appended to these regulations.

Mode of publication of the Public Notice

5. Every public notice mentioned in regulations 4 herein shall be in writing under the signature of the Chief Executive Officer or any other officer authorized by the Chief Executive Officer and shall be published in newspaper having circulation in the town. This publication shall be by two or more newspapers, which the Chief Executive Officer or any other officer authorized by the Chief Executive Officer of the Authority may think fit.

Inquiry and hearing

6. (1) After the expiry of the period specified in the notice for making objections and suggestions the same will be placed before a Committee to consider the objections and suggestions. The Committee shall be constituted by the Chief Executive Officer and shall consist of three members one of whom shall be Town Planner.The Committee shall fix date (s) for the disposal of objection (s) received and shall serve notice on the affected person(s)/body who has filed objections (s) and may allow a personal hearing to the affected person (s)/body in connection with his/their objection (s), after intimating the date and place of hearing.

Explanation- The identification of affected person (s)/body shall be done by the Committee and its decision in this regard shall be final and conclusive.

(2) The Committee shall, after conclusion of the hearing, submit its report/recommendation to the Chief Executive Officer of the Authority.

Consideration of the recommendation of the Committee

7. (1) The recommendations of the Committee shall be submitted to the Chief Executive Officer for the consideration thereof.

(2) If the Chief Executive Officer is of opinion that some matter has not been considered by the Committee, the recommendation may be referred back by him/her to the Committee for the consideration of the same.

(3) The Chief Executive Officer shall submit his/her report along with the recommendation of the Committee to the Authority for cosideration and approval.

Finalization/ Approval of the Draft Plan

8. (1) The Authority may, from time to time, after considering the recommendation of the committee and any other matter, issue directions for variations, modifications or amendment of the Draft Plan.

(2) The Authority shall approve the Plan with such variations, modifications or amendments that are deemed to be necessary by the Authority:

Provided further that the Authority shall obtain approval from the State Government before the final commencement of the Plan.

(3) The approved Plan shall be effective for a period specified by the Authority or till the new/revised Plan is approved and commenced.

Date and commencement of Plan

9. Immediately after a Plan has been approved by the State Government a public notice shall be published under the signature of the Chief Executive Officer or anyother Officer authorized by the Chief Executive Officer in the manner provided in regulations 5 stating therein that a Plan has been approved and naming a place where a copy of the plan may be inspected at all reasonable hours and from the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into operation.

Amendment of the Plan

10. (1) The Authority may make such amendments in the approved plan as it think fit, except when it relates to the land use or its extent provided that any amendment in the approved plan which, in the opinion of the Authority relates to the land use or its extent, may be made by the Authority only with no objection of the State Government.

(2) Before making any amendment in the Plan the Authority shall publish a notice in at least two newspapers having circulation in the development area inviting objections and suggestions form any affected person with regard to the proposed amendment before such date not being earlier than 15 days form the date of publication of the notice and shall consider all objections that may be received.

(3) Every amendment made under this regulation shall be published in the manner specified in regulation 5 and the amendment shall come into operation either on the date of the date of the first publication or on such other date as the Authority may fix. The Chief Executive Officer shall send a copy of the amendment to the State Government for information.

Sector Layout Plan

11. The Chief Executive Officer shall be competent to approve the layout plan prepared for the sector or a part of the sector or a scheme. Any amendment in the layout plan a sector or a part of a sector or a scheme shall duly be approved by the Chief Executive Officer. If such amendment involves the change in the area of a sector and/or and inter-sector in the location of public parks and/or green belts, it shall be done in accordance of the procedure laid down in sub- regulation (2)of regulation 10.

By order,
ALOK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

FORM 'A'

Notice is hereby given that:

1. (a) The draft Plan of the Gorakhpur Industrial Development Area/Zone---------- Tehsil---------- District-Gorakhpur has been prepared;

(b) copy there of will be available for inspection at the office of the Gorakhpur Industrial Development Authority between the---------- to---------- on all working days till the date mentioned in part 3 hereafter.

2. Objection and suggestion are hereby invited with respect to this draft Plan.

3. Objection and suggestios may be sent in writing to the Chief Executive Officer/Additional Chief Executive Officer Gorakhpur Industrial Development Authority before this date----------day of---------- Any person making objections or suggestions should mention his name and address.

By order,
ALOK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 538 राजपत्र–2025–(1447)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 औद्योगिक विकास–2025–(1448)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।